# उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून
# UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY, DEHRADUN

पो.ऑ. चन्दनवाड़ी, सुद्धोवाला, देहरादून – 248007, उत्तराखण्ड
P.O. Chandanwari, Sudhowala, Dehradun – 248007, U.K.
Website: www.uktech.ac.in, Tel.: 0135-2770126, 127, 128 Fax: 0135-2770124, 130


पत्रांक/Ref. No. 28385/अस्थाई सम्बद्धता/2016–17 दिनांक/Date: 21/10/16

सेवा में,
उप सचिव,
मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल,
राजभवन सचिवालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः **'सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहस्त्रधारा रोड, नियर आई0टी0पार्क0 देहरादून' को शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु B.Pharma, M.Pharma (Pharmaceutical Chemistry) तथा M.Pharma (Pharmacology) पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर निवेदन है कि **'सिद्धार्थ एजूकेशनल सोसाइटी'** द्वारा **'सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहस्त्रधारा रोड, नियर आई0टी0पार्क0, देहरादून'** नामक संस्थान संचालित है। उक्त संस्थान द्वारा शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु विषयांकित फार्मेसी पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन किया गया है।

'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' द्वारा अपने पत्रांक–Northern/1-2812607762/2016/EOA, Dated 05th April, 2016 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त संस्थान को निम्नवत् मान्यता प्रदान की गयी है :–

| Program | Shift | Level | Course | Full/ Part Time | Intake in 2015-16 | Intake Approved for 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmacy | 1st | PG | Pharmaceutical Chemistry | Full Time | 18 | 18 |
| Pharmacy | 1st | PG | Pharmacology | Full Time | 18 | 18 |
| Pharmacy | 1st | UG | Pharmacy | Full Time | 60 | 60 |

'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' से प्राप्त मान्यता के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा **'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'** (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को सम्बद्धता) विनियम–2009, विश्वविद्यालय अधिनियम–1956 की धारा–26 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) के प्रस्तर सं0–4.6 में संस्थानों के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण हेतु निरीक्षण कराये जाने के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन कर संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करने हेतु संस्थान का निरीक्षण कराया गया है। निरीक्षण समिति द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो मूल रूप में संलग्न है। विश्वविद्यालय को प्राप्त निरीक्षण आख्या में निरीक्षण समिति द्वारा उक्त संस्थान को शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु उपरोक्त फार्मेसी पाठयकमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की गयी है।

क्रमशः.....02

निरीक्षण समिति द्वारा उक्त संस्थान में नियुक्त फैकल्टी का भी अनुमोदन किया गया है, जिसका अनुमोदन प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति की निरीक्षण आख्या, फैकल्टी अनुमोदन प्रमाण–पत्र, एन्टी रैगिंग प्रमाण–पत्र तथा संस्थान से सम्बन्धित वांछित अन्य अभिलेखों की प्रतियां प्रस्ताव के साथ संलग्न कर राजभवन सचिवालय एवं तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जा रही हैं।

उक्त संस्थान के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव **राजभवन सचिवालय के आदेश पत्र सं0– 5355/ जी0एस0/शिक्षा/ए4–135/2016, दिनांक 18 मार्च, 2016** के अनुपालन में मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त राजभवन सचिवालय एवं तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अग्रसारित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि कृपया **'सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहस्त्रधारा रोड, नियर आई0टी0पार्क0 देहरादून'** को एआईसीटीई के मान्यता–पत्र तथा विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु उपरोक्त फार्मेसी पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख अंकित सीटों के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करने का कष्ट करें।

**संलग्नक–यथोपरि।**

भवदीय,

कृते कुलसचिव।

Deputy Registrar
Uttarakhand Technical University

**प्रतिलिपिः**– उप सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते कुलसचिव।